भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 2–840/यू0पी0/एस0ए0जी0/2008–10/एफ0सी. **दिनांक : 11.04.2013**

सेवा में ,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : राज्य सलाहाकार समूह की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि राज्य सलाहाकार समूह की आगामी बैठक जो कि दिनांक 22.04.2013 को दोपहर– 11.00 बजे, से अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जायेगा।

कम	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	पत्रावली संख्या
1.	जनपद जे0 पी0 नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 से हापुड़ मुरादाबाद खण्ड के किमी0 92.800 से 93.200, 99.800 से 99.900, 101.100 से 101.600 एवं 102.360 से 104.700 (गजरौला चौपले) तक बांयी पटरी पर विभिन्न स्थानों पर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 6.925 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 630 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	जे0 पी0 नगर	6.925	8बी/यू0पी0/06/48/12 एफ0सी0
2.	जनपद ललितपुर के ग्राम खुरा के आराजी संख्या–63/2, रकबा 4.427 हे0 तथा आराजी संख्या–158/2, रकबा 2.902 हे0 कुल 7.329 हे0 आरक्षित वन भूमि में ग्रेनाइट साइज्ड डाइमोन्शनल स्टोन खनन हेतु 30 वर्षों की लीज पर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	ललितपुर	7.329 हे0	8बी/यू0पी0/05/117/11/एफ0सी0
3.	अदवा बैराज निर्माण डूब क्षेत्र	मिर्जापुर	27.19	8बी/यू0पी0/02/84/12/एफसी
4.	डेडीकेटेड प्रेट कॉरीडोर के निर्माण हेतु 1– जनपद इटावा में 0.4382 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.7240 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 30 वृक्षों के पातन की अनुमति 2– जनपद फिरोजाबाद में 4.039 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 24 वृक्षों एवं 600 पौधों के पातन की अनुमति 3– जनपद रमाबाई नगर में डेडीकेटेड प्रेट कॉरीडोर के निर्माण हेतु 0.1230 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि का बिना वृक्ष के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति 4– जनपद महामायानगर में 0.0559 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.103 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 13 वृक्षों के पातन की अनुमति 5– जनपद आगरा में 0.59 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 178 वृक्षों के पातन की अनुमति 6– जनपद औरैया में 3.395 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 300 वृक्षों के पातन तथा 0.0032 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 300 वृक्षों के पातन की अनुमति 7– जनपद मिर्जापुर में 0.0983 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। 8– जनपद अलीगढ़ में 0.5223 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्ष, वृक्षारोपण 2008 के 112 पौधें एवं वृक्षारोपण 2006 के 19 पौधे व 24 ब्रिक गार्ड के क्षति की अनुमति।	इटावा /फिरोजाबाद/ रमाबाई नगर /महामायानगर/ आगरा/ औरैया/ मिर्जापुर/ अलीगढ़	8.5295 हे0 आरक्षित वन भूमि/ 1.9425 हे0 संरक्षित वन भूमि/ 0.1230 हे0 अन्य वन भूमि	8बी/यू.पी/07/30/12/एफ.सी.

आपसे अनुरोध है, कि सम्बन्धित प्रस्तावों के प्रयोक्ता अभिकरण सदस्य/अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित हों। विगत बैठकों में यह पाया गया है कि राज्य सलाहाकार समूह के बैठक के लिए नामांकित अधिकारी बैठक में उपस्थित नही रहते हैं, जबकि मुख्य सचिव महोदय एस0 ए0 जी0 की बैठक हर माह आयोजित करने के लिए अनुरोध किया करते हैं अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक के लिए नामांकित अधिकारियों कि उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा प्रस्तावित बैठक निरस्त भी की जा सकती है।

भवदीय,
11/04/13
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)